भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2547
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

दूर-दराज के स्थानों से मतदान करना

2547. श्री एम. सेल्वराज :

डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास किया है जिससे मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केन्द्र पर जाने की बजाय दूर-दराज के स्थानों/शहरों से अपना वोट डाल सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई प्रौद्योगिकी को कब तक विकसित और लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) नई प्रौद्योगिकी के विकास पर कुल कितना व्यय किया जाएगा; और

(ङ) गांवों में और देश भर के निरक्षर मतदाताओं के बीच इसके कितना सफल होने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सूचित किया है कि तारीख 28.12.2022 को दूरस्थ मतदान का उपयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर, जैसे 'प्रवासी मतदाता' को परिभाषित करना, क्षेत्रीय धारणा को संबोधित करना, दूरस्थ मतदान और मतों की गिनती का तरीका, आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित क रने के लिए नियंत्रित वातावरण की स्थापना करना आदि, जैसे मामलों को शामिल करते हुए, सभी राष्ट्रीय/राज्य के राजनैतिक दलों को एक संकल्पना नोट भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा परिचालित किया गया था । तत्पश्चात्, 16.01.2023 को राजनैतिक दलों से चर्चा की गई । भारत के निर्वाचन आयोग ने विभिन्न विधिक, प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दों पर 28.02.2023 को राजनैतिक दलों से लिखित विचारों/टिप्पणियों की मांग की है, जैसा कि संकल्पना नोट और उसके आगे निहित है । राजनैतिक दलों से प्राप्त लिखित विचारों/टिप्पणियों को आयोग द्वारा विश्लेषित किया जा रहा है ।

****